

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
38/2024

दायर दिनांक
30.01.2024

निर्णय दिनांक
26.02.2024

उनवान

1. हेमराज पुत्र श्री रामेश्वर, जाति तेली, उम्र वयस्क, निवासी पुरानी धानमण्डी, तेलीपाड़ा, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. भैरु पुत्र मेघा बलाई, उम्र वयस्क, निवासी हरणीखुर्द तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. रोशनी पत्नी श्री भगवान लाल अहीर, उम्र वयस्क, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. कालूराम पुत्र श्री शंकर लाल कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी दादीधाम रोड़, छोटी हरणी, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. सत्यनारायण पुत्र श्री शंकर लाल कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी दादीधाम रोड़, छोटी हरणी, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. आशा पुत्री श्री लादू जाट, उम्र वयस्क, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. कालू पुत्र श्री महादेव जाट, उम्र वयस्क, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. गोटी पुत्री लादू जाट, उम्र वयस्क, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. चांदी पत्नी श्री लादू जाट, उम्र वयस्क, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. देऊ पुत्री लादू जाट, वयस्क, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. समता पुत्री महादेव जाट, उम्र वयस्क, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. राजस्थान राज्य तहसीलदार भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)


—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी शोभागमल कुमावत
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भोली प0ह0 भोली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 653 की अभिलिखित आराजियात 1790/454, 452, 453, 454 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 2.0611 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस बाद तामिल अदम तामिल प्राप्त नहीं हुई।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि के सीमाचिन्ह नहीं होने से पत्थरगढ़ी करवाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा भोली प0ह0 भोली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 653 की अभिलिखित आराजियात 1790/454, 452, 453, 454 कुल किता 04 कुल रकबा 2.0611 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अनन्द जिवरिस्कारधी)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा